

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)
संचिका सं०- 17- नियोजन (भर्ती कोषांग)- 82/2019...1082/ पटना, दिनांक : 14-09-2020

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नवनियोजित कर्मियों द्वारा दिनांक 16.09.2020 से प्रारंभ होने वाले योगदान संबंधी कार्यवाही राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित छात्रावास के हाल-01 (प्रथम तल) पर किया जायेगा। इस हेतु प्रतिनियुक्त किये गए कर्मियों को दल में बांटा जाता है जो निम्न प्रकार है :-

कर्मियों का नाम	दल संख्या
1 श्री संजय कुमार पाण्डेय, नि०व०लि०	01
2 श्रीमती विनिता कुमारी, ऑपरेटर	
3 श्री तारिक अनवर, उ०व०लि०, बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	
4 श्री श्रवण कुमार, ऑपरेटर	
5 श्री संजय कुमार, नि०व०लि०	
6 श्रीमती ज्योति कुमारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर	02
7 श्रीमती पुनम कुमारी, उ०व०लि०, बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	
8 श्री रवि कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर	03
9 श्री अरविन्द कुमार सिंह, नि०व०लि०	
10 श्रीमती कविता सहाय, कम्प्यूटर ऑपरेटर	04
11 श्री प्रकाश मोहन, उ०व०लि०	
12 श्रीमती निक्की कुमारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर	05
	रिजर्व / Room No.-01 (भू-तल) राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान का छात्रावास

2. नवचयनित कर्मियों के योगदान से संबंधित की जा रही कार्रवाईयों के पर्यवेक्षण हेतु श्री चंदन कुमार, जी०आई०एस० सलाहकार को प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3. निदेशालय स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेश (10032 दिनांक 24.06.2020, 10091 दिनांक 30.06.2020, 10092 दिनांक 30.06.2020, 10448 दिनांक 13.08.2020 एवं 10449 दिनांक 13.08.2020 एवं अन्य) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाएगा।

(जय सिंह)

निदेशक 14/20

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक : 14-09-2020

ज्ञापांक :- 17- नियोजन (भर्ती कोषांग)- 82/2019...1082/

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय एवं प्रभारी, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण 14/20

पटना, दिनांक : 14-09-2020

ज्ञापांक :- 17- नियोजन (भर्ती कोषांग)- 82/2019...1082/

प्रतिलिपि :- प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), बन्दोबस्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि दोनों कर्मियों को दिनांक 15.09.2020 तक योगदान हेतु विरमित किया जाय।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण 14/20